

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हापुड़।

(Email-pwdcd03@gmail.com)

दिनांक 01-09-2026

पत्रांक-1605

सेवा में,

116

प्रभारी मानचित्र

हापुड़ पिलखुआ-विकास प्राधिकरण

हापुड़।

विषय-ग्राम आलमगीरपुर, गढ़ स्याना रोड, गढ़मुक्तेश्वर, तहसील-गढ़मुक्तेश्वर व जिला-हापुड़ के खसरा सं0-427घ, 472क, 483, 485 क्षेत्रफल 18743.74 वर्ग मी0 पर अनापत्ति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-आपका कार्यालय पत्रांक सं0-210/मानचित्र/एच0पी0डी0ए0/2026 दिनांक 20.06.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि श्री पंकज कुमार शर्मा पुत्र श्री योगेन्द्र शर्मा द्वारा ग्राम आलमगीरपुर, गढ़-स्याना रोड, गढ़मुक्तेश्वर, तहसील-गढ़मुक्तेश्वर व जिला-हापुड़ के खसरा सं0-427घ, 472क, 483, 485 क्षेत्रफल 18743.74 वर्ग मी0 पर निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल ब्रजघाट से पलवाडा बहादुरगढ मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज-1.100 के बांयी तरफ स्थित है। निर्माण कार्य उ0प्र0 रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1964 के अन्तर्गत सड़क के मध्य से 55 फीट की दूरी के बाद निर्माण कार्य सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकता है।

1. प्रार्थी को रोड साईड ड्रेन, पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण स्वयं अपने व्यय से करना होगा।
2. एप्रोच मार्ग, ड्रेन का निर्माण, मार्ग की सतह से ऊँचा नही होना चाहिए, जिससे वर्षा एवं निर्माण सम्बन्धी पानी मार्ग पर न आये।
3. प्रार्थी मार्ग के मध्य से 55 फिट दूरी के अन्दर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन/स्टेयरकेस/रैम्प इत्यादि का निर्माण नहीं करेगा।
4. निर्माण में प्रयुक्त सामग्री विभाग की भूमि/मार्ग पर नहीं डालनी होगी।
5. प्रार्थी निर्माण कार्य हेतु यदि आवश्यक हो तो अन्य सम्बन्धित शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों से भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वयं प्राप्त करेंगे।
6. भूमि सम्बन्धी किसी भी विवाद से विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
7. उक्त निर्माण हेतु किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा आपत्ति/विरोध का लो0नि0वि0, से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
8. यदि भविष्य में मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई जाती है तब उक्त दी गयी अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
9. यातायात को किसी प्रकार की असुविधा नही होनी चाहिए तथा निर्माण कार्य कराते समय यातायात से सम्बन्धित किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे लो0नि0वि0 से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

यदि उपरोक्त शर्तों का पूर्णतः पालन नहीं किया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,

हापुड़

दिनांक-

पत्रांक-

प्रतिलिपि-

1. अवर अभियन्ता (इं0 राज कुमार) प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हापुड़ को।
2. अवर अभियन्ता (प्रा0), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हापुड़ को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,

हापुड़



